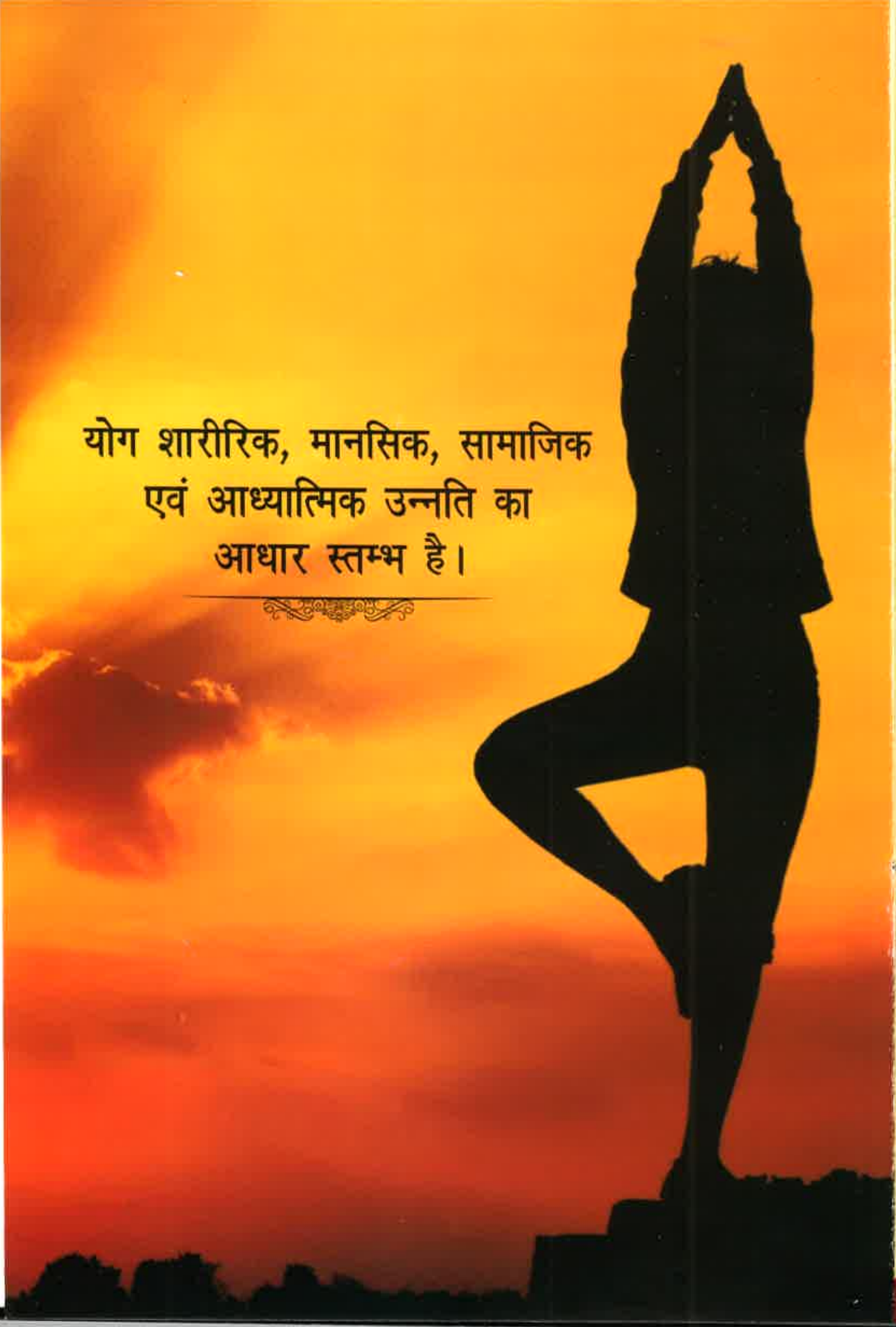

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित होने वाले योग वेलनेस सेण्टर के सुचारू रूप से संचालन हेतु दिशा निर्देश एवं कार्य योजना का विवरण :-

बिन्दु संख्या-1

स्थापना एवं संचालन

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसके सचिव, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी/जिला होम्योपैथिक अधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित तीन अन्य सदस्यगण होंगे। नगर विकास, ग्राम्य विकास, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पंचायती राज, चिकित्सा स्वास्थ्य .एवं परिवार कल्याण, आदि सरकारी विभागों में से एक तथा दो गैर सरकारी योग व प्राकृतिक चिकित्सा में रूचि रखने वाले संभ्रान्त नागरिक के माध्यम से योग वेलनेस सेण्टर को स्थापित एवं क्रियाशील किया जायेगा।

बिन्दु संख्या-2

कार्य स्थल

(अ) प्राथमिकता पर विभिन्न जनपदों में चिन्हित आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सालयों के परिसर में योग वेलनेस सेण्टर स्थापित होंगे। यदि पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो तो नगर निकायों/ग्राम निकायों से निःशुल्क प्राप्त किसी अन्य भवन/सभागार, धर्मशाला, सार्वजनिक स्थल पर स्थापित किया जायेगा।

(ब) इसके अतिरिक्त प्रामाणिक योजना बनाकर चिकित्सालय के आस-पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत भवन, स्कूल का प्रांगण, ब्लाक कार्यालय, नगर निकायों के कार्यालय या पार्क, कारागार, वृद्धाश्रम, बाल आश्रम, नारी संरक्षण गृह, जुवेनाइल होम व अन्य स्थान जहाँ पर आवश्यकता हो, योग शिविर का आयोजन किया जायेगा।

बिन्दु संख्या-3

समय सारिणी

(अ) चिकित्सालयों में योगोपचार एवं योगाभ्यास का समय प्रातः 9:00 बजे से 12:00 बजे तक होगा।

(ब) अन्य स्थानों पर सम्पन्न होने वाले योग शिविर का समय प्रातः 6.00 बजे से 8.00 बजे तक व अपराह्न 4:00 बजे से सायंकाल 7:00 बजे के मध्य होगा।

नोट : आवश्यकता एवं मौसम के अनुसार समय सारिणी में जिला स्तरीय समिति द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।